



न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर, बिजनौर

सरकार बनाम मौ० इकराम

जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 499/2026

मु.अ.सं० 248/2026

धारा-318(4), 338, 336(3), 340(2), 317(2) बी.एन.एस व 66 डी आई०टी० एक्ट

थाना- नूरपुर, जिला-बिजनौर

दिनांक-14.07.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी मौ० इकराम पुत्र मौ० अकरम की ओर से मु.अ.सं. 248/2026 अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 317(2) बी.एन.एस व 66 डी आई०टी० एक्ट थाना नूरपुर, जिला बिजनौर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी को वाद उपरोक्त में रंजिश की बिनाह पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी निर्दोष है। उपरोक्त अपराध की एफ०आई०आर देरी वे कानूनी मशवरे से लिखायी गयी है तथा एफ०आई०आर में देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी दौरान विचारण अपनी उचित जमानत देने को तैयार है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है।

सुना तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर धोखाधड़ी कारित करने, फर्जी बेवसाइट तैयार कर धन को प्राप्त करने के प्राधिकार की कूटरचना करने, छल के प्रयोजन से कूटरचना करने, कूटरचित दस्तावेज को यह जानते हुए कि वह कूटरचित है असली के रूप में उपयोग में लाने का अभियोग है। अभियुक्त पर जिस अपराध का अभियोग है वह गम्भीर एवं अजमानतीय प्रकृति का है। अतः मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी मौ० इकराम पुत्र मौ० अकरम की ओर से मु.अ.सं० 248/2026, अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 317(2) बी.एन.एस व 66 डी आई०टी० एक्ट थाना नूरपुर, जिला बिजनौर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(अरुण कुमार राणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर,
बिजनौर
J.O. Code- UP3660